न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —83/2018 (अपील)

GCMS No.- 2018/00370

1. मांगीलाल आत्मज स्व0 श्री गणपत जाति माली निवासी गिरधरपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. बसन्ती पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी ग्राम कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
3. राधा पत्नी स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
4. ओम प्रकाश आत्मज स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाड़ी कोटा
5. सतीश आत्मज स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
6. संजय आत्मज स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
7. शीला बाई पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल पत्नी श्री भगवान जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने बून्दी हाल मुकाम बालिता रोड कुन्हाडी कोटा
8. गीता बाई पुत्री स्व0 श्री छोटूलाल पत्नी शिवप्रकाश जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने बून्दी हाल मुकाम थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
9. शांति बाई पत्नी स्व0 श्री बच्चूलाल जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
10. जयकिशन आत्मज स्व0 श्री बच्चूलाल जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
11. गजानन्द आत्मज स्व0 श्री बच्चूलाल जाति माली, निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
12. विष्णु बाई पुत्री स्व0 श्री बच्चूलाल जाति माली, निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा
13. गणेशी बाई पुत्री स्व0 श्री गणपत पत्नी बालूराम जाति माली निवासी सिलिका कंपनी के सामने कुन्हाडी कोटा हाल मुकाम कंकरेश्वर महादेव मंदिर के पास कुन्हाडी कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. हरनेक सिंह पुत्र अजमेर सिंह, जटसिख, निवासी ग्राम बालिता तह0 लाडपुरा जिला कोटा
2. गुरदेवसिंह पुत्र अजमेर सिंह, जटसिख निवासी ग्राम बालिता तह0 लाडपुरा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी इन्तकाल 84 दिनांक 04.01.1974 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

उपस्थितः—

1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–11.11.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बालिता में खाता संख्या 14 की आराजी खसरा नम्बर 158 की रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 160 की रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा कुल 52 बीघा 1 बिस्वा में से खसरा नम्बर 160 की रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि गणपत का हिस्सा बैचान होने से तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 4.1.1974 दर्ज करते हुए आदेश जारी किया है कि–" दोनों रजिस्ट्रियों के आधार पर आराजी खसरा नं0 160 की रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा खातदोरान हरनेक सिंह व गुरदेव सिंह पिता अजमेर सिंह के खाते दर्ज की जावें । क्योंकि यह आराजी खातेदार गणपत के हिस्से की बेचान हुई है । अतः गणपत का नाम हिस्सा 1/3 से खारिज किया जावें ।"
2. उपरोक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 04.01.1974 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 01.11.2018 को पेश की गई है कि गणपत आत्मज देवा द्वारा उसके हिस्से में आयी कुल जमीन में से एक भाग जो खसरा नम्बर 160 का था । उस एक भाग को प्रभूलाल एवं छोटूलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.6.1963 को विक्रय कर दी । विक्रय किया गया भाग खसरा नं0 160 का 14 बीघा 18 बिस्वा था । कुल भूमि 52 बीघा 1 बिस्वा में 1/3 हिस्सा 17 बीघा 6 बिस्वा होता है । विक्रय किया गया भाग 14 बीघा 18 बिस्वा का था यानि गणपत का हिस्सा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 की 37 बीघा 3 बिस्वा में था, जिस पर भी गणपत काबिज थे । गणपत का बचे भाग खसरा नंबर 158 की भूमि में 2 बीघा 8 बिस्वा के लिए खातेदार के रूप में अंकित किया जाना आवश्यक था । किन्तु विवादित नामान्तरकरण में गणपत के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन विक्रय मानकर गणपत का नाम हिस्सा 1/3 से खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावें ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्टगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये जो अदम तामिल प्राप्त हुए । रेस्पोडेन्ट की तलबी नहीं होने पर तलबी हेतु नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अपीलांट द्वारा आवेदन करने पर समाचार पत्र में प्रकाशन के आदेश दिये तथा नोटिसों का समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशन कराया गया किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उचित होने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि गणपत आत्मज देवा द्वारा उसके हिस्से में आयी कुल जमीन में से एक भाग जो खसरा नम्बर 160 का था उस एक भाग को प्रभूलाल एवं छोटूलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.6.1963 को विक्रय कर दी । विक्रय किया गया भाग खसरा नम्बर 160 का 14 बीघा 18 बिस्वा था । कुल भूमि52 बीघा 1 बिस्वा में 1/3 हिस्सा 17 बीघा 6 बिस्वा होता है । विक्रय किया गया भाग 14 बीघा 18 बिस्वा का था यानि गणपत का हिस्सा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 158 की 37 बीघा 3 बिस्वा में था जिस पर भी गणपत माबिज थे, गणपत का बचे भाग खसरा नम्बर 158 की भूमि में 2 बीधा 8 बिस्वा के लिए खातेदार के रूप में अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु उक्त विवादित नामान्तरकरण में गणपत के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन विक्रय मानकर गणपत का नाम हिस्सा 1/3 से खारिज कर दिया जिससे खसरा नम्बर 158 की भूमि पर गणपत का नाम नहीं आया जिससे गणपत एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार प्रभावित होकर सम्पत्ति से वंचित हो रहे है । अपीलांटगण गणपत के उत्तराधिकारी है जिन्हें गणपत के अधिकार उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, नामान्तरकरण से कम की गयी भूमि 2 बीघा 8 बिस्वा के वर्तमान खातेदार होने से सामूहिक रूप से अधिकारी है । उक्त नामान्तरकरण नियमानुसार गलत खोला गया था जो हिसाब या हिस्सा क्षैत्रफल की प्रथम दृष्टया त्रुटि है जिसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी की थी रजिस्ट्री दस्तावेज उनके समक्ष था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 4.1.1974 को निरस्त किया जावें एवं अपीलान्ट का

जिला कलेक्टर
कोटा

खसरा नम्बर 158 की भूमि में 2 बीघा 8 बिस्वा के लिए बतौर खातेदार अंकित किया जावें ।

5. पेरोकार सरकार का कथन है कि नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया गया है, तथा एक ही खसरा नम्बरान 160 की भूमि का बैचान होने से यही आराजी का रेस्पोडेन्ट के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण से दर्ज हुई है । नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 160 की भूमि 14 बीघा 18 बिस्वा गणपत के हिस्सा 1/3 के अलावा अन्य खसरा नम्बरान की भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नहीं की है, केवल 160 का ही उल्लेख है । अन्य खसरा नम्बर 158 की भूमि किसके नाम दर्ज रही इसका उल्लेख नामान्तकरण में नहीं है तथा इसका जमाबंदी में क्या अमल हुआ इसके दस्तावेज अपीलान्ट ने पेश नहीं किये है । विक्रय पत्र के आधार पर तो नामान्तरकरण में कोई त्रुटि नही है । यदि नामान्तरकरण का अमल गलत हुआ है अथवा सेटलमेन्ट द्वारा कोई त्रुटि की है तो वह इस अपील के जरिये अपीलांट चाहा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इसके लिए नियमित वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 04.01.1974 के विरूद्व दिनांक 01.11.2018 को को पेश की गई है जो मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज होने योग्य है, किन्तु इस अपील में हम गुणावगुण पर भी विवेचन करना उचित समझते है । अपीलांट के तर्को एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम बालिता में खसरा नम्बर 158 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 160 की रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा कुल 52 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से खातेदार गणपत पुत्र देवा माली का हिस्सा 1/3 दर्ज था, गणपत के हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 160 की भूमि 14 बीघा 18 बिस्वा खातेदार गणपत द्वारा हरनेक सिंह व गुरूदेव सिंह को बेचान करने से अपीलाधीन नामान्तरकरण से उक्त खसरा नम्बर 160 में गणपत का हिस्सा खारिज कर रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज किया गया, शेष खसरा नम्बर 158 की भूमि किनके नाम दर्ज रही इसका उल्लेख नामान्तरकरण में नहीं है, खसरा नम्बर 158 की भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं की गई तथा इसका जमाबंदी में क्या अमल हुआ इसके दस्तावेज अपीलान्ट ने पेश नहीं किये है । नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है विक्रय पत्र में क्या आलेखित किया गया है यह स्पष्ट नहीं कराया गया है, ओर ना ही विक्रय पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की गई है । जिस प्रकार नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेन्टगण के नाम स्वीकृत किया गया है उसमें कोई त्रुटि नही होना जाहिर होता है । यदि नामान्तरकरण का अमल गलत हुआ है तथा सेटलमेन्ट द्वारा कोई त्रुटि की है तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए अपीलांट सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । अपील 44 वर्ष बाद बिना मियाद के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की है जो अस्वीकार योग्य पाते है ।
7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 160 का ही रकबा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का अंकन किया है, शेष खसरा नम्बर 158 का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का उल्लेख नहीं है । विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण में कोई त्रुटि नहीं है । प्रस्तुत अपील 44 वर्ष बाद पेश की गई है तथा विलम्ब के शमन के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाने से अपील अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से तथा मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।
8. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा